(1)

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–78/2013–14

गुलाब चन्द विश्वकर्मा वगैरह बनाम मंत्री मिस्त्री वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15/3/14	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 188/2012–13 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 21.11.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। **आवेदकगण का कथन है कि** (1) बिक्रम अंचल अंतर्गत मौजा अरार, थाना नं0 96, खाता नं0 1000 एवं 165 सर्वे खतियान में गजाधर लोहार एवं सुमेरा लोहार, पे0–राम सहाय लोहार के नाम से दर्ज है। सर्वे के पूर्व ही दोनों भाईयों के बीच बँटवारा हो चुका था। (2) सुमेरा लोहार को कोई पुत्र नहीं था। उनकी दो पुत्री कौशल्या देवी, पति राम स्वरूप मिस्त्री तथा राजपति देवी, पति स्व0 शिवशरण मिस्त्री है। कौशल्या देवी को दो पुत्र लोकनाथ मिस्त्री एवं शिवनाथ मिस्त्री हुए। लोकनाथ मिस्त्री एक मात्र पुत्र शंकर दयाल मिस्त्री (आवेदक सं0 4) को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। शिवनाथ मिस्त्री भी एक मात्र पुत्र शिव प्रसाद मिस्त्री (आवेदक सं0 3) को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। (3) सुमेरा लोहार की दूसरी पत्नी राजपति देवी दो पुत्र गुलाबचन्द विश्वकर्मा (आवेदक सं0 1) एवं सूर्यदेव विश्वकर्मा (आवेदक सं0 2) को छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। (4) वंशावली की जांच अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा की गयी है तथा उसे सही पाया गया है। विपक्षीगण का यह कथन कि सुमेरा लोहार निःसंतान थे, गलत है। (5) खाता सं0 1000 एवं 165 के भूखण्ड में सुमेरा लोहार एवं गजाधर लोहार का बराबर हिस्सा था तथा संयुक्त रूप से खेती बाड़ी होती थी, परन्तु विपक्षीगण के द्वारा सुमेरा लोहार को निःसंतान बताकर खाता सं0 1000 एवं 165 के सम्पूर्ण भूखण्ड का दाखिल खारिज अपने नाम करा लिया गया। (6) इस वाद के आवेदकगण को जब इस बात की जानकारी हुई, तो उनके द्वारा अपने आधा हिस्सा के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, बिक्रम को आवेदन दिया गया। (7) अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1099/2012–13 के अन्तर्गत उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दे कर जांचोपरान्त इस वाद के आवेदकगण के पक्ष में खाता सं0 1000 एवं 165 के भूखण्ड के आधे–हिस्से के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। (8) अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1099/2012–13 में दिनांक 15.09.2012/25.09.2012 को पारित आदेश के	

विरूद्ध विपक्षीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 188/2012—13 दायर की गयी।

(9) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना, विधि के विरूद्ध दिनांक 21.11.2013 को आदेश पारित किया गया, जो रद्द करने योग्य है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि

(1) विवादित खाता सं0 1000 एवं 165 सर्वे खतियान में गजाधर लोहार वो सुमेरा लोहार, पेसरान राम सहाय लोहार के नाम से दर्ज है। सुमेरा लोहार की निःसंतान मृत्यु हो जाने के कारण उत्तराधिकारी नियम के अंतर्गत सम्पूर्ण सम्पति गजाधर लोहार को प्राप्त हुई। विपक्षीगण गजाधर लोहार के वंशज है।

(2) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में आधा हिस्सा के दाखिल खारिज के लिए अंचलाधिकारी, बिक्रम के कार्यालय में दिया गया। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1099/2012—13 के अन्तर्गत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिहार भू—विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा—15 के अन्तर्गत आवेदकगण के दखल एवं हिस्सा की घोषणा कर दी गयी, जो अवैध है।

(3) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 188/2012—13 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 21.11.2013 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि दाखिल खारिज वाद सं0 1099/2012—13 में अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर जाकर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत आदेश पारित किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता है। अंचलाधिकारी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित करने का वैधानिक अधिकार नहीं है।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है अथवा नहीं तथा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं। इस परिपेक्ष्य में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 188/2012—13 में दिनांक 21.11.2013 को पारित आदेश पूर्णतः विधि के अनुरूप है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज का यह मंतव्य है कि अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दाखिल खारिज वाद सं0 1099/2012—13 में आदेश पारित किया गया है। उसी आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रम के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1099/2012—13 में दिनांक 15.09.2012/25.09.2012 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

मैं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के आदेश से सहमत हूँ तथा उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना